

जनपद - जालौन, उत्तर प्रदेश
प्रेस नोट सं0 54, दिनांक – 22.04.2019

आज दिनांक 22.04.2019 को थाना कोतवाली कालपी पुलिस द्वारा ग्राम कुरैहना आलमगीर में घटित दोहरे हत्याकांड की घटना में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1 – अमित कुमार उर्फ समीर पुत्र शिवशंकर निवासी ग्राम कुरैहना आलमगीर थाना कालपी जनपद जालौन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

अभियुक्त को जनपद जालौन के थाना क्षेत्र कोतवाली कालपी के ऊसरगाँव टैम्पो स्टैण्ड के पास से आज दिनांक 22.04.2019 को समय 10.15AM पर गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 08.04.2019 को वादी मुकदमा श्री निर्भय सिंह पुत्र स्व0 जगराम निवासी ग्राम कुरैहना आलमगीर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन की तहरीरी सूचना अपने पिता जगराम पुत्र मईयादीन एवं माता श्रीमती विद्यावती उर्फ कम्मो पत्नी स्व0 जगराम की अपराधियों द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में थाना कालपी पर मु0अ0सं0 126/19 धारा 302/147/148 भादवि वनाम कामता प्रसाद आदि 07 व्यक्ति समस्त निवासीगण ग्राम कुरैहना थाना कोत0 कालपी जनपद जालौन के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त मुकदमें में आरोपी कामता प्रसाद पुत्र नाथूराम, रामस्वरूप पुत्र स्व0 भोलाराम निवासीगण ग्राम कुरैहना आलमगीर थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन एवं वीरेन्द्र कुमार पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम सरसौखी थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन श्री स्वामी प्रसाद महोदय द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत लुटेरे /वारण्टी/ मो0सा0 चोर/ वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 अवधेश सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कालपी श्री संजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कालपी की संयुक्त टीम को लगाया गया था।

जनपद जालौन की लौमहर्षक घटना को प्रभारी निरीक्षक थाना कालपी की संयुक्त टीम द्वारा महत्वपूर्ण जमीनी साक्ष्य एकत्र कर थाना क्षेत्र में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 को दृष्टिगत रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, तलाश वांछित अपराधी एवं पतारशी सुरागरशी के दौरान आज एक और हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया।

थाना कालपी पर पंजीकृत उपरोक्त मु0अ0सं0 126/19 धारा 302/147/148 भादवि की विवेचना से नामजद आरोपी कामता प्रसाद, रामस्वरूप, वीरेन्द्र कुमार उपरोक्त को मय आलाकत्ल के साथ पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर तलाश जारी है।

पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया कि रामनगर उरई के रहने वाले अन्नू बाबू अहिरवार ने 20 वर्ष पहले मृतक जगराम से शर्तिया बैनामा करवाया था जिसपर मृतक को कुछ पैसा भी दिया था परन्तु मृतक द्वारा पैसा वापस नहीं किया और अपनी जमीन पर कब्जा बनाये रखा, जिस पर उपरोक्त अन्नू बाबू अहिरवार ने 6-7 वर्ष पहले आरोपी वीरेन्द्र कुमार को मृतक की जमीन का बैनाम कर दिया था फिर भी जमीन पर मृतक का ही कब्जा बना रहा और अपनी खेती करता रहा। वर्तमान समय में मृतक एवं मृतक के परिवारीजन द्वारा फसल बोयी गयी थी जिसे दिनांक 08.04.2019 को शाम मृतक एवं मृतक के परिवारीजन खेत पर मौजूद थे जहाँ पर मैं और मेरे साथी पहुँच कर मृतक व मृतक के परिवारीजन से जमीन के सम्बन्ध में बातचीत के दौरान कहासुनी होने लगी जिस पर मृतक एवं मृतक के परिवारीजनों द्वारा विरोध करने पर मेरे साथियों द्वारा कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी गयी थी एवं मैंने मृतक जनगराम व मृतका विद्यावती की हत्या में मैंने अपने साथियों का पूर्ण सहयोग किया था।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण: –

- 1- प्र0नि0 श्री सुधाकर मिश्रा थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
- 2- उ0नि0श्री विजय कुमार द्विवेदी थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
- 3- का0 1435 विकास यादव थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
- 4 – का0 1638 दीपेन्द्र कुमार थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।
- 5- का0 चालक यादवेन्द्र वीर सिंह थाना कोतवाली कालपी जनपद जालौन।